



**HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD**  
(A GOVT. OF HARYANA UNDERTAKING)  
**Office of the Executive Engineer,**  
**T.S. Division, HVPNL, Rewari-123401**  
Ph. #01274-298915 E-Mail: xentsrwr@hvpn.org.in

To  
The DFO,  
Rewari

Memo No-

346

Dated:- 02.03.2026

**Subject: Forest Clearance proposal for online Proposal No FP/HR/Trans/144364/2021.**

In continuation of SDO Construction office earlier memo 40 dated 26.02.2024 vide which undertaking was submitted as compliance to your good office.

In this connection, in compliance of point no VIII section A of stage-I approval of the subject cited work, following is submitted/undertaken regarding two no mentioned cases:


**Status project FP /HR/Trans/6597/2014:-**

An amount of Rs. 1,62,36,012/- was deposited by HSIIDC with Forest Department. Further additional demand of Rs. 97,27,075/- was raised by Forest Department on 15.02.2024. The funds were arranged by HSIIDC, but later on forest has refused to accept the amount and insisted to provide 3.871 hectare additional land. Accordingly, HSIIDC offered 3.871 hectare land in HSIIDC Bawal area to Forest office Rewari but the same has also been not accepted being observed non suitable. HSIIDC and HVPNL are exploring other land option for availability at the earliest.

**Status project FP (HR/Trans/4903/2014:-**

The project belongs to distribution utility namely DHBVN and stage-II has already been issued to XEN Construction DHBVN Rewari vide memo no 9-HRB205/2014-CHA dated 05.02.2022 by office of IRO, MOEF&CC Chandigarh. Same has been shown of Parivesh portal also. (Copy attached).

In view of the above, status is submitted for consideration.

  
Executive Engineer/TS Div.  
HVPNL Rewari.



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional Office, Chandigarh



मिसिल संख्या :- 9-HRB205/2014-CHA  
सेवा में,

दिनांक: 05-05-2022

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),  
हरियाणा सरकार,  
हरियाणा सिविल सचिवालय,  
चण्डीगढ़ - 160001 (fcforest@hry.nic.in)

विषय:- Diversion of 0.60 ha of forest land in favour of Executive Engineer, Construction Division, DHBVNL, Rewari for erection of 33 KV line from 220 KV S/Stn. Mau to 33 KV S/Stn. Jharthal, under forest division and District Rewari, Haryana (Online proposal FP/HR/Trans/4903/2014)


संदर्भ (i) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 2462-व-2-2014/11462 दिनांक 05.08.2014.  
(ii) अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-5903/115 दिनांक 15.04.2022.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संबंधित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है। इस प्रस्ताव में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 04.11.2015 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA) व नोडल अधिकारी के पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन- प्रशा-डी-तीन-5903/115 दिनांक 15.04.2022 (ऑनलाइन पोर्टल) द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.60 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग हेतु स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

- i. वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्ष/पौधा नहीं काटा जाएगा।
- iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार RF Jhabua comp. no. 6 in village Jhabua Tehsil Bawal & District Rewari, में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 6,54,996/- रुपये (Rupees six lakh fifty four thousand nine hundred & ninety six only) से 1200 पौधों लगाकर किया जायेगा।
- iv. प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- v. CEO, State CAMPA, इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित सीए योजना के अनुसार CA वृक्षारोपण के लिए DFO को CAMPA Scheme के तहत धनराशि जारी करना सुनिश्चित करेंगे।
- vi. DFO अनुमोदित CA Sites पर वृक्षारोपण करना सुनिश्चित करेंगे और MoEF&CC की अनुमति प्राप्त किए बिना अनुमोदित को नहीं बदलेगा।
- vii. राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।
- viii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- ix. प्रस्तावित कंडक्टर के नीचे टेंशन सटरिंगिंग उपकरण लगाने के लिए 3.0 मीटर चौड़ी पट्टी में निकासी की अनुमति दी जायेगी। परन्तु कार्य खत्म होने पर प्राकृतिक सम्पोषण होने किया जायेगा।
- x. कंडक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम 2.8 मीटर होना चाहिए। कंडक्टरों के शुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा। विजली की निकासी बनाये रखने के लिये जब कभी आवश्यक होगा तो पेड़ों की काट छांट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जायेगा। संचरण लाइन के मार्गाधिकार में नीचे छोटे कद के पौधों, मुख्य रूप से औषधिय पौधों का रोपण किया जायेगा।
- xi. जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।

- xii. प्रयोक्ता एजेंसी वन क्षेत्रों में से ट्रांसमिशन लाइन बिछाने हेतु दिशा-निर्देशिका Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarification, 2019) के Chapter 10 के तहत जारी दिशा निर्देश का अनुपालन करेगी।
  - xiii. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
  - xiv. प्रयोक्ता एजेंसी अपनी लगत पर पक्षियों को तारों से टकराने से बचाने के लिये उपयुक्त अंतराल पर ट्रांसमिशन लाइन के उपरी कंडक्टर पर पक्षी दिपलेक्टर (Bird deflector) लगाएगी।
  - xv. FRA, 2006 का पूर्ण अनुपालन का प्रमाण सम्बंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
  - xvi. सम्बंधित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, परिवर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आवश्यकतानुसार जमीन पर सीमांकित किया जाएगा।
  - xvii. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
  - xviii. इस अनुमोदन के तहत डायवर्सन की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में की जाने वाली पट्टे की अवधि या परियोजना का कार्यकाल, जो भी कम हो, के साथ एक सीमा वाली (Co-terminus) होगी।
  - xix. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
  - xx. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
  - xxi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय - समय पर लगाई जा सकती है।
  - xxii. सक्षम प्राधिकारी अनुमति को रद्द कर सकता है, यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का पालन संतोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से उपरोक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।
  - xxiii. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।
2. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन संतोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी

भवदीय,  
  
 (सी० डी० सिंह) 05/09/2022  
 क्षेत्रीय अधिकारी  
 IRO, MoEF&CC

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
3. The Nodal Officer (FCA), Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (cffcpanchkula@gmail.com)
4. The CEO, CAMPA Haryana, Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana (haryanacampa@gmail.com)
5. Divisional Forest Officer, Forest Division & District Rewari, Haryana (dforewari@gmail.com)
6. Xen Const. Division, DHBVN, Rewari.